संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम	:	श्री बदलू हसन मैमोरियल एजूकेशन वैलफेयर सोसाइटी।
2– संस्था का पूरा पता	:	ग्राम श्यामपुर पो0 कांकर सराय तहसील व जिला अमरोहा।
3– संस्था का कार्य क्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4– संस्था के उद्देश्य	:	स्मृति पत्र के अनुसार होगें।

5– संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य : जो मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति संस्था को 50,000/–रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य : जो मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति संस्था को 20,000/– रूपये एक मुश्त देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

साधारण सदस्य : जो मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति संस्था को 5,000/–रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रति वर्ष देगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

6– सदस्यता की समाप्ति
1– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2– सदस्य के पागल हो जाने पर।
3– सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
4– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5– न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7– संस्था के अंग–
अ– साधारण सभा
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

8– साधारण सभा –
1. गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।
2. बैठक– साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति वर्ष में तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
3– सूचनावधि– साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।
4. गणपूर्ति – साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।
5. साधारण सभा के कर्तव्य तथा अधिकार –
1– वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
2– वार्षिक बजट पास करना।
3– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति –
1–गठन– प्रबन्धककारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 तक की जा सकती है।
2– बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रतिमाह तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
3– सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4– कोरम– कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा।
5– रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यों द्वारा की जायेगी।
6– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य–

Gulshan Than

अमीना रहीमुद्दीन

सदाकत अली खावसाना

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

1– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
2– वार्षिक बजट तैयार करना।
3– वार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
4– संस्था हेतु ऋण, दान – अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
5– संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण लेने हेतु अपनी सहमति देना तथा ऋण हेतु संस्था की चल अचल सम्पत्ति को बन्धक रखने हेतु अनुमति प्रदान करना। संस्था की ओर से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये अध्यक्ष, प्रबन्धक अथवा कोषाध्यक्ष में से किसी को अधिकृत पृथक अथवा संयुक्त रूप से अधिकृत करना।

कार्यकाल – : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से पॉच वर्ष के लिए होगा।

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य –

अध्यक्ष
1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

उपाध्यक्ष
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपें गये समस्त कार्या का निर्वाहन करनाा।

प्रबन्धक
1. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
2. संस्था के अभिलेखें पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. संस्था का पत्र व्यवहार करना।
5. संस्था हेतु ऋण, दान अनुदान, चंदा, प्राप्त करना।

उपप्रबन्धक
प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा सौपें गये समस्त कार्यो का निर्वाहन करना तथा संस्था के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष
1. आय –व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
3. संस्था के समस्त बिल वाउचरों का भुगतान करना।

11. नियमों में परिवर्तन
संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैकं, वित्तीय संस्थान अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।

13. लेखा परीक्षण
संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडीटर से प्रति वर्ष कराया जायेगा।

14 अदालतीकार्यवाही – संस्था की समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

15. अभिलेख
1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेंडा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

16. विघटन : संस्था के विघटन एवं विघटित संम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि. एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17. संस्था का स्वरूप : सहायक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्था होगी। संस्था द्वारा खोले जाने वाले सभी शिक्षण

अमीना Gulshan Khan
सदाकत अली
रहीसुद्दीन रुख़साना

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

संस्थान मुस्लिम अल्पसंख्यक होगें।

8. विश्वविद्यालय परिनियमावली 11.05 का समावेश	प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान की धारा 37, 49 (ड) में यह व्यवस्था होगी कि –

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य प्रबन्ध तंत्र का पदेन सदस्य होगा।
(ख) प्रबन्धतन्त्र के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक है । जिसमें प्राचार्य भी है।
(ग) अध्यापक (खण्ड ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोडकर ज्येष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य है।
(घ) प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठाक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।
(ड) खण्ड (ग)के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतन्त्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदान न होगें।
(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में नई व्यक्ति समयक रूप से चुना गया या नही अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने के हकदार है या नहीं या प्रबन्धतन्त्र वैध रूप गठित है या नही तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।
(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण मण्डल के समक्ष महाविद्यालय की अय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी नियास बोर्ड या मूल निकास के लेखा सहित जो महाविद्यालय को चला रही है रखने के लिए तैयार है।
(ज) परिनियम 11.06 के विनिर्दिष्ट विन्यास निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिये उपलब्ध रहेगी।

दिनांक : 15.11.2015

सत्यप्रतिलिपि
हस्ताक्षर

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मंडल मुरादाबाद उ० प्र०
सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

Imran Ali
अमीना
Gulshan Khan
सदाकत अली
रहीसुद्दीन
रुखसाना

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद
3/12/2015